

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/ए.पी.ओ./पार्ट I/2022-23/

दिनांक

बजट आवंटन आदेश- 62

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या -54 **Capacity Building :c) Training of veterinary officers working on deputation in the forest department and catering the needs of the Protected Areas for rescue of wildlife through Wildlife Institute of India (WII), Dehradun.** के अनुसार आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डल को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlife

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12- Grant in Aid (Other than Salary)

Amount in lacs

S.NO.	Name of the Office	APO Item	Activity	Allotted Amount	RE- MARKS
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर	APO Item no. 54 :Capacity Building :c) Training of veterinary officers working on deputation in the forest department and catering the needs of the Protected Areas for rescue of wildlife through Wildlife Institute of India (WII), Dehradun	for 1st Year	15.000	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान के पत्र क्रमांक 1680 दिनांक 30.09.2022 के क्रम में

सामान्य शर्तें:

- 1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 2 आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 3 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि यथा समय पर इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 4 उक्त आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से संबंधित व्यय का भुगतान किया जाना हो क्योंकि स्टेट कैम्पा का अकाउन्ट ब्याज बियरिंग है।
- 5 राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिये नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें से प्रशासनिक व्यय नहीं किया जावे।

- 6 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड **Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA** एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कार्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों के आडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 7 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 8 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षर कर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 9 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशों की पालना की जावे।
- 10 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित पद्धति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 11 जिन वन विकास कार्यों में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पुर्वानुमति आवश्यक है उन कार्यों को नियमानुसार पुर्वानुमति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करें।

Sd.
(शिखा मेहरा)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं./ए.पी.ओ./पार्ट 1/2022-23/7546-89

दिनांक 2/11/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान, जयपुर।
- 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 4 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 5 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

(अभिषेक शर्मा)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।